न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2021 अपील (GCMS/2021/32)
पंजीयन दिनांक - 16.02.2021
आदेश दिनांक - 12.0404.2022

श्री नीलकमल पिता स्व. श्री भंवरलाल शर्मा, निवासी खेरमालिया, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री विमल भटनागर - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 08.09.2020 क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/3949

निर्णय

दिनांक 12.04.2022

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 08.09.2020 क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/3949 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री नीलकमल पिता स्व. श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा अपने पिता श्री भंवरलाल शर्मा के वृद्ध होने से विरासत से बारहबोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र हस्तांतरण बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2018 कसे जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त प्रकरण में संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश हुआ है तथा प्रकरण में राजीनामा हुआ एवं आवेदक को किसी से भी कोई खतरा होने संबंधी तथ्य सामने नही आने तथा कृषि सुरक्षा के संबंध में

हथियार की आवश्यकता बाबत कोई विभागीय टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2020 क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/3949 से आवेदन का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया कर दिया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 05.04.2022 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एंव तथ्यों का ठीक से अवलोकन नहीं किया गया क्योंकि जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आवेदक के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश तथा प्रकरण में राजीनामा हुआ, जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि आवेदक का विरासत से आर्म्स लाईसेंस जारी किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। आदेश दिनांक 08.09.2020 में यह उल्लेखित किया है कि आवेदक को किसी से भी कोई खतरा होने संबंधी तथ्य सामने नहीं आये है तथा साथ ही कृषि सुरक्षा के संबंध में कोई हथियार की आवश्यकता बाबत कोई विभागीय टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। जबकि समस्त विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में आर्म्स लाईसेंस के हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं जताई है। अपीलार्थी के पिता के पास वर्ष 1988 से आर्म्स लाईसेंस होकर बंदूक का उपयोग करते आ रहे है। अब वर्तमान में अपीलार्थी के पिता का निधन होने से उक्त बंदूक का उपयोग बगेर लाईसेंस से लिया जाना संभव नही है। अपीलार्थी की आराजीयात पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है तथा अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति तथा उसका आचरण एवं आम शौहरत अच्छी है इसलिये बंदूक की आवश्यकता है। अपीलार्थी के विरूद्ध शस्त्र के दुरूपयोग के संबंध में व वन्य जीव आखेट का कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.09.2020 को पारित किया गया चूंकी उस वक्त अपीलार्थी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उनका देहांत हो गया था जिस कारण से अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जानकारी प्राप्त होते ही

अधीवक्ता से संपर्क कर अविलम्ब प्रश्नगत अपील यम प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी का अवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध अस्वीकार कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**

- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रक्ट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2020 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी थी, जो अपीलार्थी द्वारा नही की गई तथा अपीलार्थी के पिता को निधन होने का हवाला दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों तथा अपीलार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री नीलकमल पिता भंवरलाल शर्मा ने अपने पिता के वृद्ध होने से विरासत से बारहबोर बंदूक को आर्म्स अनुज्ञापत्र हस्तांतरण बाबत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष आवेदन दिनांक 21.12.2018 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध पूर्व में आपराधीक प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश हुआ है तथा प्रकरण में राजीनामा हुआ एवं आवेदक को किसी से भी कोई खतरा होने संबंधी तथ्य सामने नही आने तथा कृषि सुरक्षा के संबंध में हथियार की आवश्यकता बाबत कोई विभागीय टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2020 क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/3949 से आवेदन का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र हस्तांतरण हेतु प्रमुख कारण अंकित किया कि अपीलार्थी की आराजीयात में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है व अपीलार्थी को अपनी फसलों को देखने के लिये मध्य रात्रि में भी अपने घर से खेतों की ओर आना-जाना पडता है जिस कारण से अपील सुरक्षा हेतु बंदूक की आवश्यकता है।

- उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से यह पाया गया कि संबंधित विभागों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदन

के विरूद्ध आपराधीक प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश हुआ है तथा प्रकरण में राजीनामा हुआ है। तथा आवेदक को किसी से भी कोई खतरा होने संबंधी तथ्य सामने नही आया है साथ ही सुरक्षा के संबंध में हथियार की आवश्यकता बाबत कोई विभागीय टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी को शस्त्र स्थानांतरण किया जाना उचित प्रतित नही होने से जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आवेदन खारिज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उचित है।

- अपीलार्थी द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होते है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ का आदेश दिनांक 08.09.2020 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2020 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर